आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–12 / 2023

22.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में SDO, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सुनवाई के दौरान बताया कि सुनवाई से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध कराने का प्रयास पणन पदाधिकारी द्वारा कराया गया लेकिन शिकातकर्ता ने ये कहते हुए राशन लेनें से मना कर दिया 22.03.2023 को आयोग में सुनवाई है, सुनवाई के पश्चात ही वो राशन लेंगे। आयोग ने जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से यह जानना चाहा कि शिकायतकर्ता को कितना राशन उपलब्ध कराया जा रहा था, उन्होंने बताया कि जितने दिन का राशन बकाया था, उतने दिन का राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि जितने शिकायतकर्ताओं को जितने दिन का राशन बकाया है, उसका सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें क्योंकि बकाया राशन की उपलब्धता हर्जाने के साथ होना चाहिए। इस बीच शिकायतकर्ता ने डीलर द्वारा मनमानी करने और राशन के लिए बार–बार दौड़ाने के लिए शिकायत की। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो इस मामले की जांच कर डीलर पर समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि आज के आदेश का अनुपालन का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।

(शबनम परवीन)	(हिमांशु शेखर चौधरी)
सदस्य,	अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि० 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित करें।

25.4.23